राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**<u>अपील संख्या: - 992/2018</u>**

| **अपीलार्थी** | **बनाम** | **प्रत्यर्थी** |
|---|---|---|
| संतोष बजाज<br>आर0 नं0 313 चौतीना कुआं के पास,<br>Bikaner,Rajasthan | | राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं<br>अतिरिक्त निदेशक प्रशासन<br>निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य<br>परिवार कल्याण सेवाऐं, स्वास्थ्य<br>भवन, तिलकमार्ग Jaipur |

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

**निर्णय**

**दिनांक : 26/03/2018**

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री एस. पी. शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 08-07-2017 के द्वारा पत्र दिनांक 16-06-2017 की प्रति व इससे संबंधित 9 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि संबंधित पत्रावली सरकार को गई हुई थी। पत्र दिनांक 04-10-2017 से अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि पत्रावली प्राप्त हो पर सूचना प्रेषित कर दी जावेगी। अपीलार्थी को पत्र दिनांक 09-11-2017 से आवेदन की बिन्दु संख्या 9 की सूचना प्रेषित की गई है तथा पत्र दिनांक 06-12-2017 से बिन्दु संख्या 1 से 8 की सूचना प्रेषित की गई है। सूचना दिया जाना शेष नहीं होना बताया।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 22-02-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 09-11-2017 व 06-12-2012 के साथ प्रेषित सूचना का अभिलेख प्रस्तुत किया है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

**(सुरेश चौधरी)**
**मुख्य सूचना आयुक्त**